



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Chandigarh Branch Office-I,
Northern Regional Office,
Bureau of Indian Standards

Address Plot No. 4-A,
: Sector 27 -B,
Madhya Marg-Chandigarh |160019
Phones :0172-2659072
Fax: 0172-2659072
E-Mail: mdch2@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

REGISTERED A/D

Our Ref :CM/L-9700071815

Dated :26 Jul

28 2017

Subject: Grant of BIS Certification Marks Licence No. CM/L-9700071815 as per IS 432 : Part 1 : 1982

मै. माधव एलोएस प्रा. लि.

गांव अकालगढ़, अमलोह-भादसों रोड

टोल प्लाजा के पास

भादसों

जिला पटियाला - 147203

पंजाब

Dear Sir,

With reference to your application, we are pleased to inform you that it has been decided to grant you a licence to use the Standard Mark in respect of the following:

Product: **mild steel and medium tensile steel bars and hard-drawn steel wire for concrete reinforcement: Part I Mild steel and medium tensile steel bars**

IS No : **IS 432 : Part 1 : 1982**

Type/Size/Grade/Variety covered under licence :

Mild Steel Wire, Grade 1, Size: Above 20mm to upto including 40mm

2. The licence is being granted with the explicit condition that you will mark entire/substantial production which conforms to the Indian Standards referred above.

3. The number assigned to this licence is CM/L- 9700071815 which has been made operative from 24/07/2017 and is valid upto 23/07/2018. The licence number should invariably be referred to in your future correspondence.

4. According to sub-regulation (2) of Regulation 6 of Bureau of Indian Standards (Certification) Regulation, 1988, the licence fee of Rs 1000/- and the marking fee of Rs. as stipulated in the Second Schedule of this licence is payable by you with effect from 24/07/2017 for the period of validity of the licence.

Service tax @ 0 % as applicable shall also be charged.

5. Minimum marking fee stipulated therein is payable by you regardless of the whether you actually mark your product or not with the Standard Mark. Our Receipt No. 0 dated _____ for Rs. 0.00 for the licence fee (Rs.1000/-) and the minimum marking enclosed/sent separately.

6. This advance minimum marking fee will be carried over to the next year on every renewal. The actual marking fee calculated on the unit rate on the production marked or the minimum marking fee, whichever is higher shall be payable by you at the time of renewal.

7. With a view to streamlining the reporting of quantity marked, calculation and collections of marking fee on the unit rate basis, fees will be calculated on the production marked during the first nine months of operation of the licence at the time of first renewal and the production marked during twelve months comprising the last three months of the previous operative year, at the time of second and subsequent renewals. In case the licence expires, the entire production marked till the expiry date shall be taken into account for calculating the marking fee payable.

8. The Scheme of Testing and Inspection DOC: STI/432(PT1)/4:MAY 83 which has already been accepted by you vide your letter dated 25/07/2017 will have to be implemented by your organization strictly and control function in your organization. The supervision of the operation of the Scheme shall be done by a person responsible for the quality control function in your organization. Kindly inform us the name and designation of the person who will be held responsible for the operation and maintenance of the Scheme. Any future change in this respect will have to be communicated by you to us and whenever this takes place.

9. We are enclosing a sheet giving the preferred dimensions of the Standard Mark to enable you to prepare the designs of the Standard Mark for marking the above product. Photographic reduction in any size is permissible. This will ensure the relative proportions of the different dimensions are maintained. Preferred dimensions may be used as far as possible. Kindly get the designs of the stencil/label/rating plate incorporating the Standard Mark approved by us. You will be permitted to commence marking the above mentioned product only after approval by this office.

10. On commencement of marking of your product for which you are licensed, you may advertise your product with Standard Mark in hoardings, slides and newspapers only during the validity of your licence. The use of Standard Mark on letterheads and publicity literature will be permitted only on receipt of your assurance that in the event of cancellation or lapsing of your licence, the letterheads etc. with the Standard Mark will be destroyed/obliterated. The required assurance may please be submitted in the enclosed proforma.

11. You are requested to intimate us the actual date from which you intend to introduce the use of Standard Mark on your product. Our Inspecting Officer may be present in your factory at that time to assist you in adopting the Scheme of Testing and Inspection (STI) and in the maintenance of test records.

12. The Licence is being granted for your factory situated at : Village Akalgarh Amloh-Bhadson Road Near Toll Plaza Bhadson Patiala and the rights and privileges under the licence shall not be exercised by any other firm/company/factory, etc. This licence is not transferable. In

the event of shifting of the manufacturing and testing equipment from the licenced premises to some other place, use of Standard Mark shall be stopped till the new premises are inspected and found to be satisfactory by us in respect of manufacturing and testing facilities available there and address of the new premises is endorsed in the licence.

13. A copy/copies of test report(s) of the sample(s) drawn at the time of preliminary inspection of your factory is/are enclosed for your records.

14. You are requested to intimate to this office the address of your servicing unit where applicable and the name and designation of the person, his telephone and telex number who should be contacted in case of complaints. It is obligatory on your part as a licensee to keep this office informed about changes taking place from time to time in your declared list of servicing units.

15. The licence is enclosed.

16. You are requested to send us back the enclosed proforma No. CMD/PF615 duly filled in.

17. An instruction sheet containing "Responsibilities of BIS Licensees" is also enclosed for information / compliance.

18. Licence is being granted subject to condition to that if verification sample fails in independent testing, stop marking shall be imposed. Corrective actions shall be intimated by you within one month. Resumption shall be permitted only on the basis of passing report of independent testing of fresh sample offered. In case of failure of fresh sample, licence shall be processed for cancellation

Kindly acknowledge receipt of this letter.

Thanking you,


(Chitra Gupta)
Scientist E & Head

PAN NO AAATBO431G

" Bureau of Indian Standards has been approved for the purposes of sub/clause(iv) of clause 23C of section 10 of Income Tax Act, 1961 vide order No. 167 dated 30.04.2008 issued by Director Income tax (Exemptions), Deptt. Of Revenue, Ministry of Finance Government of India. This Order of Ministry of Finance is applicable of BIS for Assessment Year 2007-2008 and onwards. Accordingly, the Income of BIS is not included in the total income of exempted from the payment of income tax."

UNDERTAKING

With reference to the BIS Certification Marks Licence No. CM/L- 9700071815 For **Product: mild steel and medium tensile steel bars and hard-drawn steel wire for concrete reinforcement: Part I Mild steel and medium tensile steel bars** as per **IS 432 : Part 1 : 1982** to us, we hereby undertake, that in the event of deferment or cancellation of the said licence by the Bureau, we shall:

- a) Obliterate the BIS Standard Mark on our letterheads, price lists, pamphlets and all other publicity material etc., and
- b) Not make any public claim to the effect that we are holding the above-mentioned licence and/or reproduce the BIS Standard Mark in newspapers or any other media of publicity.

In this connection we have gone through the relevant section 5(1), 6(a) and (b) of the BIS (Certification Marks) Act, 1986 and Regulations 6 of BIS (Certification Marks) Regulations, 1987

Signature

Name

For & On Behalf of:

Dated:

Seal



भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय,

एस. सी. ओ. 335-336, सेक्टर 34-ए, चण्डीगढ़-160 022

NORTHERN REGIONAL OFFICE

S.C.O. 335-336, SECTOR 34-A, CHANDIGARH-160 022

EPABX : 2609285, 2664750, 2624136, 2624145 Grams : Manaksanstha

Fax : 0172-2602025, E-mail : nro@bis.org.in

संदर्भ : एम डी सी एच...../एल-970007/815

दिनांक : 28/7/17

विषय : नए लाईसेंसधारियों द्वारा विज्ञापन जारी करने सम्बन्धी हिदायतें।

महोदय,

1. ब्यूरो का प्रमाणीकरण मुहरांकन लाइसेंस प्राप्त करने के पश्चात् आप लाइसेंसधारियों के उस विशाल परिवार में शामिल हो गए हैं जो ब्यूरो प्रमाणीकरण मुहर योजना को संचालित कर रहे हैं।
2. जैसा कि आपको निःसन्देह विदित है कि उपभोक्ता उन उत्पादों को प्राप्त करने के लिए उत्सुक रहते हैं जो मानकों के अनुरूप हों एवं वे नए बी आई एस लाइसेंसों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः यह आवश्यक है कि दूर-दूर तक इस बात का प्रचार होना चाहिए कि आपके उत्पाद को बी आई एस लाइसेंस प्रदान किया गया है और इस प्रयोजन के लिए हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इस तथ्य की सूचना देते हुए लाइसेंस प्राप्त उत्पाद के विवरण सहित समाचार पत्र में विज्ञापन दें। उपभोक्ता के दिमाग पर अच्छी छवि बनाने हुए विज्ञापन में वह मानक मुहर भी प्रदर्शित करें जो आपको प्रदान की गई है। क्षेत्रीय समाचार पत्रों में ऐसे विज्ञापन जारी करने से अच्छी कवरेज प्राप्त करने में लाभ हो सकता है।
3. आप अन्य मीडिया जैसे रेडियो या टी वी के द्वारा भी अतिरिक्त प्रचार करने के विषय पर विचार कर सकते हैं।
4. हम आशा करते हैं कि आप उपर्युक्त सुझाव को कार्यान्वित करेंगे एवं हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अपने विज्ञापन का कलेवर (text) पूरे विज्ञापन/वर्ष के प्रचार कार्यक्रम सहित अनुमोदन हेतु हमें भेज दें।

भवदीय,

निदेशक एवं प्रमुख

GENERAL INSTRUCTIONS ON SIZES OF ISI MONOGRAM TO BE USED BY LICENSEES UNDER ISI CERTIFICATION MARKS SCHEME

Refer to the Standard Mark indicated in your licence. Regarding size please note that :

- Photographic reduction in any size of Figure 1 size permissible; and
- Preferred dimensions as given in Table 1 be used as far as possible




FIG. 1

TABLE 1 PREFERRED DIMENSIONS OF ISI MONOGRAM
All dimensions in millimeters

A	B	a	R	r	SIZE OF LETTERS
2.5	1.9	0.2	0.4	-	1.0 mm
5	3.8	0.4	0.8	0.1	1.0 mm
10	7.5	0.7	1.7	0.2	2.0 mm
20	15	1.5	3.3	0.5	3.0 mm
40	30	2.9	6.7	1.0	4.0 mm
80	60	5.9	13.4	1.9	6.0 mm
160	120	11.7	26.7	3.8	10.0 mm
320	240	23.4	53.4	7.6	16.0 mm

यह एक वैधानिक दस्तावेज है। कृपया इस दस्तावेज से कोई भी पेपर अलग न करें।

भा. मा. ब्यूरो के लाइसेंसधारियों के उत्तरदायित्व

(Responsibilities of BIS Licencees)

सामान्य

1. आई एस. आई प्रमाणन संबंधी सभी मामलों के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को नामित करें।
2. समय समय पर यथा संशोधित भा. मा. ब्यूरो प्रमाणन मुहर अधिनियम, नियमों एवं विनियमों के उपबन्धों के बारे में पता करते रहें।
3. न्यूनतम-मुहरांकन-शुल्क का अग्रिम : भुगतान करें। यदि ऐसा समय पर नहीं होता तो आपका लाइसेंस निलम्बित किया जा सकता है।
4. विशेषतः : क्वालिटी कंट्रोल विभाग के सभी संबंधित कार्मिकों को आपके लाइसेंस के साथ संलग्न किये गये अद्यतन भारतीय मानक (मानकों) एवं परीक्षण एवं निरीक्षण योजना के पेपरों की एक-एक प्रति दें। भारतीय मानक को दोबारा से मुद्रित न करें चूंकि ऐसा करना काफी राइट अधिनियम का उल्लंघन है।
5. (जहां आवश्यक हो) उत्पाद/बैंक प्राधिकारियों से पहले अनुमति प्रदान करें ताकि नमूने भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी एवं संबंधित प्रयोगशाला को उपलब्ध कराये जा सकें। किसी कठिनाई का सामना करने की स्थिति में भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
6. भा. मा. ब्यूरो द्वारा निर्धारित की गई अवधि में आपके द्वारा तैयार किए गए उत्पादन की मात्रा एवं मुहरांकित किए गए उत्पादन के विवरण प्रस्तुत करें।
7. यदि आपके संगठन, उनके स्तर, फैक्टरी-परिसर, प्रबंधन, एरिया, डिजाइन एवं जिस ब्रांड पर आप मुहर लगा रहे हैं, उसके ब्रांड नाम/नामों में कोई बदलाव करते हैं तो भा. मा. ब्यूरो को तुरन्त सूचित करें।
8. आपके लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से एक माह पूर्व नवीनीकरण आवेदन पत्र और शुल्क भिजवा दें। इसके लिए आवेदन करते समय, आवेदन-पत्र के साथ संलग्न 'कार्य निष्पादन शीट' में पूरा विवरण दिया जाना चाहिए।
9. लाइसेंस को रद्द कर दिये जाने/स्थगित कर दिये जाने/समाप्त कर दिये जाने की विशेष स्थिति में भा. मा. ब्यूरो के सभी निर्देशों का तुरन्त पालन करना होगा, अन्यथा आपको अधिनियमानुसार, मुकदमे का सामना करना पड़ेगा।

मुहरांकन

10. मानक मुहर के डिजाइन, समानुपात एवं लागू करने के तरीके के लिए भा. मा. ब्यूरो से पहले अनुमोदन प्राप्त करें। जब भी आवश्यक हो, भा. मा. ब्यूरो से मदद लें। जब आप पहली बार अपने उत्पादन पर मुहर लगायें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें।
11. जब आप उत्पादन बंद करें एवं मुहरांकन रोकें/पुनः आरम्भ करें तो भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। उत्पादन/मुहरांकन रोकने के समय भा. मा. मुहरांकित माल के स्टॉक की सूचना दें।
12. जिस उत्पादन के लिए आपने वैध लाइसेंस प्राप्त किया है/किये हैं/ उससे संबंधित भारतीय मानक/मानकों के समानुकूल वैरायटियों एवं बैचों/उत्पादन ढेरों पर ही भा. मा. ब्यूरो मुहर लागू है।

13. यदि भा. मा. ब्यूरो से पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है, तो अन्य एजेन्सियों में उत्पादित माल पर भा. मा. मुहर न लगायें। दूसरी एजेन्सियों द्वारा आपके लिए उत्पादित माल पर भी मुहरांकन की अनुमति नहीं है।
14. लाइसेंस की स्वीकृति से पूर्व उत्पादित माल पर कभी भी भा. मा. ब्यूरो मुहर न लगायें।

निरीक्षण एवं परीक्षण

15. आपके लाइसेंस के साथ संलग्न की गई परीक्षण एवं निरीक्षण योजना में उल्लिखित निरीक्षण एवं परीक्षण के रिकार्ड रखें।
16. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को आपके उत्पादन लाइन एवं रिकार्ड की चैकिंग में, आपकी फैक्टरी परिसरों में परीक्षण एवं स्वतन्त्र परीक्षण के लिए नमूने/नमूनों को लेने में यथा संभव सहयोग करें।
17. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी को आपकी फैक्टरी में पहुँचने के तुरन्त बाद संबंधित कार्मिकों की उपस्थिति एवं प्रयोगशाला / गोदाम की चाबियों, इत्यादि (यदि उपलब्ध न हो) का प्रबंध करें।
18. टेस्ट-उपकरणों को समय-समय पर अनुसंशोधित करायें एवं इसके रिकार्ड रखें।
19. आपकी क्वालिटी कंट्रोल विभाग में किसी प्रकार का बदलाव किये जाने पर भा. मा. ब्यूरो को सूचित करें। यदि आवश्यक हो तो आपके परीक्षण-कार्मिक को प्रशिक्षित करने के लिए भा. मा. ब्यूरो से मदद लें।
20. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा सील किये गये काउंटर-नमूने का परीक्षण न करें, यदि आवश्यक हो तो भा. मा. ब्यूरो की पहले अनुमति प्राप्त करें।
21. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी द्वारा लिये गये नमूनों को लाने और ले कर जाने में होने वाले संभावित नुकसान से बचाने के लिए उसे सही ढंग से पैक करें एवं सुनिश्चित करें कि भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी की मुहर ठीक से लगी है।
22. भा. मा. ब्यूरो के निरीक्षण अधिकारी के द्वारा यथा निर्देशित एवं ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय/ब्रांच कार्यालय की सलाह पर नमूनों को शीघ्र प्रयोगशाला भेजें।
23. ध्यान दें कि यदि भा. मा. ब्यूरो का निरीक्षण अधिकारी अपने निर्धारित समय पर आपकी फैक्टरी का निरीक्षण नहीं कर पाते हैं तो उसके दौरे की संपूर्ण व्यवस्था एवं खर्च आपको वहन करना पड़ेगा। (देखें 5,11,16 एवं 17)

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

मानक चिन्ह लगाने की अनुज्ञप्ति

Licence for the use of STANDARD MARK

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) सं. सीएम/एल 9700071815

LICENCE NO. CM/L - 9700071815

यह ब्यूरो, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर

मै. माधव एलोएस प्रा. लि.

गांव अकालगढ़, अमलोह-भादसों रोड

टोल प्लाजा के पास

भादसों

जिला पटियाला - 147203

पंजाब

को (जिसे इसमें आगे अनुज्ञप्तिधारी कहा गया है) इसकी प्रथम अनुसूची के पहले कालम में दिखाए गए मानक चिन्ह का उपयोग करने को अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) प्रदान करती है। इस मानक चिन्ह का उपयोग ऐसी वस्तु पर/प्रसंस्करण के संबंध में किया जाएगा जिसका उल्लेख इसकी उक्त अनुसूची के दूसरे कॉलम में किया गया है। यह वस्तु/प्रसंस्करण उक्त अनुसूची के तीसरे कालम में उल्लिखित संबंधित भारतीय मानक के अनुसार विनिर्मित होगी/के अनुरूप होगा।

1. By virtue of the power conferred on it by the BUREAU OF INDIAN STANDARDS ACT, 1986(63 of 1986) the BUREAU hereby grants to

M/s Madhav Alloys Private Limited,
Village Akalgarh Amloh-Bhadson Road Near Toll Plaza,
Bhadson
Distt : Patiala-147203
Punjab

(hereinafter called 'the licensee') this licence to use the Standard Mark set out in the first column of the First Schedule hereto, upon or in respect of the article/process set out in the second column of the said Schedule which is manufactured in accordance with/conforms to the related Indian Standard(s) referred to in the third column of the said Schedule as from time to time amended or revised.

2. इस अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के साथ ये अधिकार और बाध्यताएं हैं जिनका अनुबंध उक्त अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों में हैं। अनुज्ञप्तिधारी अपनी बाध्यताओं का अनुसरण करते हुए, इसकी दूसरी अनुसूची में उल्लिखित चिन्ह लगाने की नित फीस सम्यक् रीति से और नीयत समय पर देगा तथा परीक्षण और निरीक्षण की उस स्कीम को, जिसकी प्रति संलग्न है, ब्यूरो की

2. This licence carries the rights and obligations stipulated in the Regulations made under the above mentioned Act. In pursuance of this obligation, the licensee shall pay in due manner and time the scheduled Marking Fee set out in the, Second Schedule hereto and maintain to the satisfaction of the BUREAU the Scheme of Testing and Inspection a copy of which is attached hereto.

3. यह अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) 24 जुलाई 2017 से 23 जुलाई 2018 तक विधिमान्य

रहेगी और विनियमों में विहित रूप में इसका नवीकरण हो सकेगा।

3. This licence shall be valid from TWENTY FOURTH JULY, TWO THOUSAND SEVENTEEN to TWENTY THIRD JULY, TWO THOUSAND EIGHTEEN and may be renewed as prescribed in the Regulations.


आज दो हजार सत्रह के जुलाई मास के छब्बीसवें दिन
हस्ताक्षरित तथा मुद्रांकित।

Signed, Sealed and Dated this TWENTY SIXTH day of JULY, TWO THOUSAND SEVENTEEN

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

चिह्न
28/7
Sd/-
भारतीय मानक ब्यूरो (BIS)
Bureau of Indian Standards
प्लॉट नं. 4-ए, भा. 27-3
Plot No. 4-A, B-27-3
चण्डीगढ़/Chandigarh
प्रमुख, सीएचबीओ-1
Head, CHBO-I

प्रथम अनुसूची
THE FIRST SCHEDULE

मानक चिन्ह STANDARD MARK (1)	वस्तु/प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (2)	भारतीय मानक INDIAN STANDARD(S) (3)
IS 432  Part I	<p>मृदु स्टील तार, ग्रेड 1, साइज 20 मि मी से ऊपर एवं 40 मि मी तक तथा सहित</p> <p>Mild Steel Wire ,Grade 1, Size:Above 20mm to upto including 40mm</p>	<p>भा. मा. 432 (Pt1) : 1982</p> <p>कंक्रीट प्रबलन हेतु मृदु इस्पात और मध्यम तन्यता वाले इस्पात छड़ और कठोर कर्षित स्टील तार: भाग 1: मृदु इस्पात और मध्यम तन्यता वाले इस्पात छड़</p> <p>IS 432:Part1:1982</p> <p>Mild Steel and medium tensile steel bars and hard-drawn steel wire for concrete reinforcement:Part1:Mild Steel and medium tensile steel bars</p>

THE SECOND SCHEDULE

अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) संख्या सीएम/एल 9700071815 के लिए चिन्ह लगाने की फीस की अनुसूची
SCHEDULE OF MARKING FEE FOR LICENCE NO.CM/L- 9700071815

वस्तु प्रसंस्करण ARTICLE/PROCESS (1)	इकाई UNIT (2)	प्रति इकाई चिन्ह लगाने की फीस MARKING FEE PER UNIT (3)	भुगतान की रीति MANNER OF PAYMENT (4)
<p>मृदु स्टील तार, ग्रेड 1, साइज 20 मि मी से ऊपर एवं 40 मि मी तक तथा सहित</p> <p>Mild Steel Wire ,Grade 1, Size:Above 20mm to upto including 40mm</p>	<p>1 टन</p> <p>1 TONNE</p>	<p>एक वर्ष की लागू अवधि के दौरान न्यूनतम मुहरांकन फीस रु. 46000/- सहित सभी इकाईयों के लिए रु. 3.00 प्रति इकाई</p> <p>Rs.3.00 per unit for all the units with a minimum marking fee of Rs. 46000/- during an operative period of one year.</p>	<p>क) लाइसेंस के एक वर्ष लागू रहने के लिए न्यूनतम फीस अग्रिम देय होगी और यह फीस अगले नवीकरण(नवीकरणों) के लिए जमा रहेगी। (a) Minimum marking fee for one operative year payable in advance which will be carried over to next renewal(s). ख) लाइसेंस के पहले नवीकरण के समय लागू अवधि के पहले नौ महीनों के लिए लगे उत्पादन पर इकाई दर से बनने वाली चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, चण्डीगढ़ में देय होगी। बाद के नवीकरणों के लिए 12 महीने की अवधि के लिए चिन्ह लगाने की वास्तविक फीस, जिसमें पिछली लागू अवधि के अन्तिम तीन महीने और चालू अवधि के पहले नौ महीने शामिल होंगे या न्यूनतम फीस, जो भी अधिक हो, देय होगी। (b) Actual marking fee for the first nine months of the operative period calculated on the unit rate on the production marked on the minimum fee, whichever is higher, shall be payable at Chandigarh at the time of the first renewal of the licence. For subsequent renewals, the actual marking fee for 12 months/period consisting of last three months of previous operative period and first nine months</p>

भारतीय मानक ब्यूरो की ओर से
for BUREAU OF INDIAN STANDARDS

चिन्ह नं. 4-ए, चिन्ह
Plot No. 4-A, Chandigarh
चण्डीगढ़ / Chandigarh
प्रमुख, सीएचबीओ-1
Head, CHBO-1